रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022**-**235987 CG-DL-E-**25052022-23598**7

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2247] No. 2247] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISTHA 3, 1944

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

का.आ. 2368(अ).— केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 196 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा रेलवे को निम्न के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 21, 22 तथा 23 के प्रावधान के प्रयोग से छुट देती है —

- (क) ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, आशोधन और मजबूत करना;
- (ख) छोटे पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनः गर्डर लगाना और मजबूत करना;
- (ग) छोटे पुलों के अलावा सभी मौजूदा पुलों पर पुन: गर्डर लगाना और मजबूत करना;
- (घ) चौकीदार युक्त क्रॉसिंग को हटाना;
- (ङ) बाहरी स्टेशन सीमाओं की इंटरलॉकिंग सहित समपार को अपग्रेड करना;
- (च) बिजली कर्षण चालू करना;
- (छ) समर्पित माल गलियारे से संबंधित कार्य।

[फा. सं. 2018/ट्रांस सेल/सिविल/सीआरएस] अतुल बी. खरे, प्रमुख कार्यकारी निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (योजना)

3464 GI/2022 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

S.O. 2368(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 196 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby exempt from the application of the provision of Section 21, 22 and 23 of the said Act, the Railway in respect of—

- (a) Construction, rebuilding, modification and strengthening of foot-over-bridges and road-over-bridges;
- (b) Construction, rebuilding, regirdering and strengthening of minor bridges;
- (c) Regirdering and strengthening of all existing bridges, other than minor bridges;
- (d) Elimination of manned level crossing;
- (e) Upgradation of level crossing, including interlocking outside station limits;
- (f) Introduction of Electric Traction;
- (g) Works related to Dedicated Freight Corridor.

[F.No. 2018/Trans. Cell/Civil/CRS]

ATUL B. KHARE, Principal Executive Director Civil Engineering (Planning)